फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी महोदय मुकाम बायतु

जालाराम वगैरा बनाम किरताराम वगैरा

किस्म मुकदमा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 नं. 82/19 सन 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
26.02.19	प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री कुम्भसिंह चौधरी द्वारा यह आवेदन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थीगण को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एकपक्षीय बहस को सुना गया। पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्यनन किया गया। राजस्व रेकर्ड के अनुसार प्रार्थीगण रेकर्डेड खातेदार है। प्रार्थीगण के अनुसार विप्रार्थीगण प्रार्थीगण के कब्जा काश्त से जबरन बेदखल कर, नेखमबन्दी की आड़ में कब्जा करने पर आमदा है और यदि ऐसा हो गया तो वाद बहुलता बढ़ेगी। प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति एवं प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष का बनना प्रतीत होता है। अतः विप्रार्थीगण को आगामी पेशी तारीख 26.03.2019 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित आराजी मौजा रेकूवाला पटवार मण्डल बायतु भीमजी तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 570/458, 631/470, 617/458, 582/470 की भूमि में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में विप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखलअन्दाजी व हस्तक्षेप न तो स्वयं करें तथा न ही किसी स्वयं से करावें। न ही किसी प्रकार का कच्चा-पक्का निर्माण कार्य करें। न ही सेढे पर बनी पुरानी माठो को तोड़ने का प्रयास करें। वर्तमान मौके की यथास्थिति बनाये रखें। विप्रार्थीगणों को स्थगन नोटिस जारी होकर मिसल वास्ते जवाब दिनांक 26.03.2019 को पेश हों। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.04 17:44:49 IST
Reason: SelfAttested

26/03/19 प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या ... श्री ओर से मूल वाद में वकील की याचना ... द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। विप्रार्थी संख्या 8 का नोटिस तामील नहीं तामील प्रकाशन। श्रीमान पीठासीन अधिकारी जयपुर चुनाव मीटिंग में पधारे हुए है अतः मिसल इत्तला होकर आगामी दिनांक 08/05/19 को पेश हो। तबतक स्थगन आदेश पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगा।

08/05/19 पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय वजकारान उपस्थित। पीठासीन अधि-कारी दिगर कार्यों में व्यस्त है। मिसल इत्तला होकर दिनांक 30/07/19 को पेश हो।

30/07/19 पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय वजकारान उपस्थित। पीठासीन अधि-कारी दिगर कार्यों में व्यस्त है। मिसल इत्तला होकर दिनांक 23/09/19 को पेश हो।

23/09/19 पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय वजकारान ... पीठासीन अधि-कारी दिगर ... है। मिसल इत्तला होकर दिनांक 09/12/19 को पेश हो।

09/12/19 वकुलाय फरीकैन उपस्थित। विप्रार्थी वकील द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया फाईनल पेश करना चाहते है अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 25/02/2020 को पेश हो। तबतक स्थगन आदेश पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगा।

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

25/02/2020 पत्रावली आज पेश ...

08/04/2020 08/04/20

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.04 17:44:49 IST
Reason: SelfAttested

...क्रम	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/06/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी का मूल वाद Not press में खारिज हो चुका है इसलिए आवेदन का कोई औचित्य नहीं रहता है अतः प्रार्थी का आवेदन इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर के बाद दाखिल दफ्तर हो। [illegible signature] 15.6.2020 सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	Not Press

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.04 17:44:49 IST
Reason: SelfAttested